



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून - I
दिनांक, देहरादून, नवम्बर 2015

पत्रांक 1391 / 12-1 (1)

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ।

विषय:- जनपद देहरादून के रायपुर ब्लॉक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कालीगाड़) से नालीकला मोटर मार्ग कुल लम्बाई 11.425 कि0मी0 के निर्माण हेतु 9.194 हे0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को वन भूमि प्रत्यावर्तन स्वीकृति।

सन्दर्भ:-
महोदय,

आपका पत्रांक 1570 / 12-1 दिनांक 03-11-2015

FP/VK/ROAD/13657/2015

आपके स्तर से भेजे गये विषयांकित प्रस्ताव का परीक्षण करने पर 0-10 ब्यासवर्ग के वृक्षों को प्रस्तावक विभाग के व्यय पर मार्ग के इर्द-गिर्द **Transplant** संबंधित क्षेत्र के वन कर्मियों तथा वनक्षेत्राधिकारी की देख-रेख में किये जाने हेतु प्रांकलन में प्रस्तावक विभाग से **Transplant** किये जाने हेतु उनकी सहमति भी प्रमाण पत्र के रूप में संगत दस्तावेज ऑन लाईन अपलोड करवाया जाय। उक्त प्रांकलन रू0 1,38,000-00 एक लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र की वित्तीय स्वीकृति रेंज अधिकारी मसूरी के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी से मांगी गई है, जिसका व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वहन किया जाना है। अतः आंकलित व्यय के संबंध में प्रस्तावक विभाग की सहमति विषयक पदनाम समूहर हस्ताक्षर करवा कर अपलोड करवाया जाय।

आप उक्त दस्तावेज प्राथमिकता पर अपलोड करवा कर इस कार्यालय को प्रस्ताव ऑन लाईन भेजें। आपके स्तर से प्राप्त प्रस्ताव ऑन लाईन वापिस लौटाया जाता है।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।